न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अशोकनगर निग-981-I-16

बाबूलाल पुत्र श्री मोतीलाल
निवासी–बीलाखेडी तहसील मुगांवली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
(म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/93–94 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.04.1994 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बीलाखेडी में स्थित शासकीय भूमि नम्बर 1 में से रकवा 1.627 है0 भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम तहसीलदार मुगांवली के आदेश दिनांक 20.06.1989 के अनुसार किंया गया था।

2– यहकि, विवादित भूमि पर आवेदक का काफी समय पूर्व से कब्जा कास्त करके चला आ रहा था ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया पालन करते हुये न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 121/अ–19/88–89 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 20.06.1989 के अनुसार किया गया था।

3– यहकि, तहसीलदार मुगांवली का आदेश एक अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता था। किन्तु इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/93–94 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.04.1994 से स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण स्वीकार कर आवेदक के हित में जारी भूमि आवंटन का आदेश दिनांक 20.06.1989 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया।

4– यहकि, अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के उक्त आदेश की जानकारी आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी 04.03.2016 को उस समय हुयी जब सुखा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–981–एक / 2016 जिला–अशोकनगर

बाबूलाल विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 85 / 1993–94 / स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–04–1994 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	